दीवानी विविध

माननीय न्यायमूर्ति बल राज तुली के समक्ष

चानन राम अग्रवाल - याचिकाकर्ता

बनाम

आयुक्त, अंबाला डिवीजन, अंबाला
और अन्य - उत्तरदाता

1969 की दीवानी रिट संख्या 2873,

24 फ़रवरी 1970

भारत का संविधान (1950) - अनुच्छेद 311 - जिला कार्यालय मैनुअल - पैरा 2.10 - सेवा रिकॉर्ड में उल्लिखित सरकारी कर्मचारी की जन्म तिथि - सुधार क्या उसकी सेवा में शामिल होने के केवल दो वर्षों के भीतर किया जा सकता है - कार्यकारी निर्देश क्या समग्र रूप से किया जाना चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी के लिए उसकी जन्मतिथि के निर्धारण का मामला नहीं है जैसा कि उसकी सेवा में उल्लिखित है रिकॉर्ड फिर से खोला गया. पंजाब सरकार का 4 जुलाई, 1928 का पत्र, जिस पर जिला कार्यालय मैनुअल का पैरा 2.10 आधारित है, सरकारी कर्मचारियों को ऐसा अधिकार देता है, लेकिन इसका उपयोग सेवा में शामिल होने के दो साल के भीतर ही किया जा सकता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी मामले को फिर से खोलने के लिए सरकार के पत्र पर निर्भर करता है, तो उसे उस पत्र की सभी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। वह पत्र केवल एक कार्यकारी निर्देश के बराबर है और सरकारी कर्मचारी को कोई कानूनी अधिकार नहीं देता है। कार्यकारी निर्देशों को समग्र रूप से किया जाना चाहिए, न कि भागों में। (पैरा 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि 28 अगस्त, 1969 और 29 सितंबर, 1969 के आक्षेपित आदेशों को रद्द करते हुए एक उचित रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाए और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 25 अक्टूबर, 1912 मानने का निर्देश दिया जाए, न कि 1 जनवरी, 1912 को।और उन्हें उस आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 31 दिसंबर, 1969 से सेवा से याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त करने से रोक दिया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील बीएस गुप्ता और एमआर अग्निहोत्री ने यह बात कही।

प्रतिवादी की ओर से हरियाणा के एडवोकेट जनरल जीसी गर्ग ने पैरवी की।

आदेश

माननीय न्यायमूर्ति बल राज तुली 16 फरवरी, 1970 के अपने आदेश के माध्यम से, मैंने इस मामले को आज तक के लिए स्थगित कर दिया था ताकि प्रतिवादी अंबाला डिवीजन के आयुक्त के कार्यालय से रिकॉर्ड पेश कर सकें। स्थगन इस शर्त पर दिया गया था कि प्रतिवादी उस स्थगन की लागत के कारण 50 रुपये का भुगतान करेंगे। लागत का भुगतान आज किया गया है।

2. याचिकाकर्ता ने 1931 में लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और मैट्रिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1912 बताई गई है। याचिकाकर्ता 26 मई, 1939 को सहायक पटवारी के रूप में सेवा में शामिल हुए और फिर तैयार की गई उर्दू में *अमलनामा* नामक सेवा पुस्तिका में, उनकी जन्मतिथि 14 शुधि 14, 1969 बीके दर्ज की गई, जो 25 अक्टूबर, 1912 से मेल खाती है। इसके बाद अंग्रेजी में एक सर्विस बुक तैयार की गई जिसमें उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1912 दर्ज है। जिस पृष्ठ पर जन्म तिथि का उल्लेख है, उस पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर हैं। उल्लेखनीय है कि मैट्रिक [1] के प्रमाण पत्र में नाम 'चंदन राम अग्रवाल पुत्र गज नंद' दिया गया है, जबकि उर्दू में तैयार किए गए पहले *अमलनामा* में जब याचिकाकर्ता ने 26 मई, 1939 को सहायक पटवारी के रूप में सेवा में प्रवेश किया, तो उसका नाम 'चंदन' पुत्र गज नंद लिखा हुआ है।

चानन बाम अग्रवाल *बी*/ आयुक्त, अंबाला मंडल,
अंबाला, आदि (तुली, जे।

जाति से महाजन। अंग्रेजी में तैयार सर्विस बुक में उनका नाम 'चंदन राम पुत्र गज नंद' लिखा है। इस पुस्तक में पहली प्रविष्टि 10 सितंबर, 1940 की है। इस सेवा पुस्तिका को तहसीलदार, हिसार द्वारा सत्यापित किया गया था। 10 जून, 1944 को। 9 फरवरी, 1956 को संलग्न उनके हस्ताक्षरों को 14 फरवरी, 1956 को भिवानी के उप-विभागीय अधिकारी द्वारा फिर से सत्यापित किया गया था। इस प्रकार उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1912 मानी गई और उन्हें 31 दिसंबर, 1969 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होना था। दिसंबर, 1966 में, याचिकाकर्ता ने उपायुक्त, हिसार को अपनी जन्म तिथि में सुधार के लिए एक आवेदन दिया और उस आवेदन में उन्होंने कहा कि यह जन्म तिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिसार के कार्यालय में रखे गए जन्म रजिस्टर के अनुसार असुज शुद्धि 1 14, 1 1969 बीके थी, जिसे 1 नवंबर को दर्ज किया गया था। 1912. उनकी कुंडली भी एक पुजारी द्वारा तैयार की गई थी जिसमें जन्म की एक ही तारीख दिखाई गई थी। उपायुक्त ने अपनी तारीख में सुधार के लिए जिला कार्यालय मैनुअल के पैरा 2.10 के तहत आयुक्त को अपना आवेदन भेज दिया। यह पैराग्राफ 4 जुलाई, 1928 को पंजाब सरकार के पत्र संख्या 20076 (एच-गज) के पैराग्राफ 5 पर आधारित है और निम्नानुसार पढ़ा गया है।

> "राजपत्रित नियुक्ति रखने वाले सरकारी कर्मचारियों और मंत्रिस्तरीय और अधीनस्थ सेवकों के मामले में डिवीजन आयुक्त के मामले में सरकार की मंजूरी के बिना पिछले वर्षों के वार्षिक स्थापना रिटर्न में पहले से ही बताई गई जन्म तिथियों में सुधार नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के हर सुधार के खिलाफ इसे अधिकृत करने वाले आदेश की संख्या और तारीख का एक नोट बनाया जाना चाहिए, और आदेश की एक प्रति रिटर्न के साथ संलग्न की जानी चाहिए। आवेदन प्राप्त होने पर, उम्र का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच की जानी चाहिए। जानकारी के सभी उपलब्ध स्रोतों का संदर्भ दिया जाना चाहिए, जैसे कि नगरपालिका जन्म रजिस्टर, विश्वविद्यालय या स्कूल आयु प्रमाण पत्र, जन्म पत्र या कुंडली की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां। ऐसे आवेदनों को अस्वीकार करना या मंजूर करना पूरी तरह से मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की ओर से विवेकाधीन है और किसी भी बदलाव की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि यह संतोषजनक रूप से साबित न हो जाए कि आवेदक द्वारा मूल रूप से दी गई जन्म तिथि एक वास्तविक गलती थी और उसने इससे कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया है। ऐसी हर जांच का परिणाम गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के मामले में, उनकी सेवा पुस्तिकाओं में संक्षेप में उल्लेख किया जाना चाहिए और यदि सुधार को मंजूरी दी जाती है तो इस तथ्य को महालेखाकार, पंजाब को सूचित किया जाना चाहिए।

3. पंजाब सरकार के उस पत्र का पैरा 3 भी प्रासंगिक है और निम्नानुसार है:-

"परिषद में राज्यपाल और मंत्रियों में कार्य करने वाले राज्यपाल को अब यह निर्देश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भविष्य के सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सरकारी सेवा में प्रवेश के समय या उनके उद्देश्य से की गई आयु की घोषणा को निर्णायक माना जाएगा, जब तक कि वह सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख से दो साल के भीतर दर्ज अपनी आयु में सुधार के लिए आवेदन नहीं करता है। हालांकि, सरकार उस सरकारी कर्मचारी के हितों के खिलाफ किसी भी समय सरकारी कर्मचारी की दर्ज उम्र में सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जब वह संतुष्ट हो जाती है कि उसकी सेवा पुस्तिका या राजपत्रित अधिकारी की सेवाओं के इतिहास में दर्ज आयु गलत है और गलत तरीके से दर्ज की गई है ताकि सरकारी कर्मचारी इससे कुछ अनुचित लाभ प्राप्त कर सके।

4. जब यह मामला निर्णय के लिए आयुक्त, अंबाला डिवीजन के कार्यालय में पहुंचा, तो कार्यालय में सहायक ने 13 अगस्त, 1969 को सभी विवरणों के साथ एक विस्तृत नोट लिखा। उन्होंने मामले को अधीक्षक को भेजा, जिन्होंने अपना नोट भी संलग्न किया, जिसमें निम्नानुसार लिखा था: –

नीति आयुक्त का ध्यान सरकार के मुख्य सचिव, पंजाब के दिनांक 4 जुलाई, 1928 के पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है। आयुक्त तिथि में सुधार का आदेश दे सकता है बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए आवेदन सरकारी सेवा में उसके प्रवेश की तारीख से दो साल के भीतर किया गया हो। इस मामले में डीसी, हिसार सिफारिश करता है कि उनके कार्यालय के क्लर्क श्री चंदन राम की जन्म तिथि 1 जनवरी, 1912 से बदलकर 25 अक्टूबर, 1912 की जाए जैसा कि सरकारी कर्मचारी द्वारा इस जन्म पत्री और थाना डबवाली के जन्म रजिस्टर में प्रविष्टि के आधार पर लागू किया गया था। जिला हिसार (प्रति संलग्न)। डीसी ने यह आधार रखा है कि तारीख के इस परिवर्तन के कारण कर्मचारी को कोई अनुचित लाभ नहीं होगा क्योंकि न तो वह इस अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि अर्जित करेगा और न ही यह उसे पेंशन के लिए कोई लाभ देगा। डीसी द्वारा किया गया दावा सही है लेकिन सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि उनके मैट्रिक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि की प्रविष्टि पर आधारित है जो एक प्रमाणित रिकॉर्ड है। इसलिए आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है, हालांकि डीसी का कहना है कि वह निर्धारित समय के भीतर आवेदन जमा नहीं कर सके क्योंकि उन्हें अपनी वास्तविक जन्म तिथि के बारे में पता नहीं था जो उनके संज्ञान में अब आया जब उन्होंने अपने पिता के पुराने कागजात से परामर्श किया था। मेरे मन में यह दलील प्रशंसनीय नहीं है। एक आदमी आमतौर पर अपनी जन्म तिथि जानता है। वह एक शिक्षित व्यक्ति हैं और पिछले 30 वर्षों से सरकारी सेवा में हैं। इस तरह प्रस्ताव असमर्थनीय है और इसे खारिज किया जा सकता है।

यह नोट 14 अगस्त, 1969 का है और इन नोटों के साथ पूरी फाइल कमिश्नर को भेजी गई थी। वह अधीक्षक के नोट से सहमत थे, जिसका अर्थ था कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनी

चानन हम अग्रवाल *बनाम* आयुक्त, अंबाला डिवीजन,
अंबाला, आदि (तुली, जे।

जन्मतिथि को सही करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। इस अस्वीकृति के बारे में अंबाला मंडल के आयुक्त ने हिसार के उपायुक्त को 21 अगस्त, 1969 को पत्र लिखकर सूचित किया था। उपायुक्त ने उस पत्र की एक प्रति याचिकाकर्ता को 28 अगस्त को भेज दी? 1969, अपने मैट्रिक प्रमाण पत्र, कुंडली और जन्म प्रमाण पत्र के साथ। उस पत्र के प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता ने 15 सितंबर, 1969 को उपायुक्त, हिसार को एक और अभ्यावेदन दिया, जिसे 29 सितंबर, 1969 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 28 अक्टूबर, 1969 को इस अदालत में वर्तमान रिट याचिका दायर की। ./

5. याचिकाकर्ता ऐसा कोई वैधानिक नियम नहीं दिखा पाया है जो उसे अपनी जन्मतिथि के निर्धारण के मामले को फिर से खोलने के लिए बाध्य करता हो। 4 जुलाई, 1928 को पंजाब सरकार के पत्र ने सरकारी कर्मचारियों को ऐसा अधिकार दिया लेकिन इस अधिकार का प्रयोग केवल दो साल के भीतर किया जा सकता था। अधीक्षक के नोट में दिया गया यह मुख्य कारण है जिसके साथ आयुक्त सहमत थे। याचिकाकर्ता 9 दिसंबर, 1966 से पहले अपनी जन्मतिथि को सही नहीं करा सका, जब उसने उपायुक्त को आवेदन दायर किया था, यह बताया गया है कि उसे नहीं पता था कि बिक्रमी युग में तारीख को गलत तरीके से जन्म में बदल दिया गया था।

ईसाई युग, जिस पर विश्वास करना आसान नहीं है क्योंकि मैट्रिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्म तिथि ईसाई युग में 1 जनवरी, 1912 बताई गई है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह ईसाई युग में बताई गई अपने जन्म की तारीख के बारे में किसी भी गलतफहमी में थे। उर्दू में लिखी गई सेवा पुस्तिका में जब उन्होंने 26 मई 1939 को सहायक पटवारी के रूप में अपना करियर शुरू किया था, तब बिक्रमी युग में उनकी जन्मतिथि दी गई है लेकिन वह न तो उनके हाथ में है और न ही किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित है। इसके बाद अंग्रेजी में एक नियमित सेवा पुस्तिका तैयार की गई, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं और जो 1940 से है। पहले ही पृष्ठ पर उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1912 बताई गई है और सेवा पुस्तिका में कई प्रविष्टियां हैं जिन पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए, वह सभी जानते थे कि उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1912 ली गई थी। चूंकि याचिकाकर्ता मामले को फिर से खोलने के लिए 4 जुलाई, 1928 के पंजाब सरकार के पत्र पर निर्भर है, इसलिए उसे उस पत्र की अन्य आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। वह पत्र केवल एक कार्यकारी निर्देश के बराबर है और याचिकाकर्ता को कोई कानूनी अधिकार नहीं देता है। कार्यकारी निर्देशों को पूरी तरह से किया जाना था, न कि भागों में। इसलिए मेरी राय है कि मामले को फिर से खोलने के उनके अनुरोध को सही तरीके से खारिज कर दिया गया है।

6. याचिकाकर्ता के वकील ने श्री सोहन सिंह बावा *बनाम हरियाणा राज्य और* अन्य [1]*मामले में* न्यायमूर्ति *टेक चंद, के फैसले पर भरोसा किया* है। जिसमें श्री बावा ने दावा किया कि उनकी जन्म तिथि वास्तव में 4 फरवरी, 1916 थी, जबकि सेवा रिकॉर्ड में इसे 4 फरवरी, 1910 के रूप में दर्ज किया गया था। जिस समय उनकी जन्मतिथि सेवा रिकॉर्ड में दर्ज थी, उस समय मैट्रिक प्रमाण पत्र में आयु सुधार के लिए उनका मामला लंबित था। मैट्रिक प्रमाणपत्र में आयु को 1955 में पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर द्वारा ठीक किया गया था, और उसके बाद उन्होंने अपनी आयु में सुधार के लिए आवेदन किया था। उस अनुरोध को पंजाब वित्तीय नियमों के नियम 7-3 के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सेवा में शामिल होने के दो साल के भीतर आवेदन नहीं किया गया था। इन तथ्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"इन आक्षेपित आदेशों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री और / या सरकार के रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। यह निर्णय गूढ़ है और इसमें याचिकाकर्ता के एक बहुत ही मूल्यवान नागरिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। इनमें से किसी भी आदेश को बोलने वाला आदेश नहीं कहा जा सकता है जो भगत राजा बनाम भगत राजा[2] *मामले* में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए *दिया गया हो।* किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में निर्णय लेने में, प्राधिकारी के लिए कारण बताना अनिवार्य था। उद्देश्य केवल इस तथ्य को संप्रेषित करने से पूरा नहीं होता है कि प्रतिनिधित्व को अस्वीकार या खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के एक महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार को पंजाब वित्तीय नियम, खंड 1 के अध्याय VI।

[1] 1967 S.L.R 934

[2] 1966 के सीए संख्या 2596 और 2597 पर 29 मार्च, 1967 को निर्णय लिया गया C.A

के अनुबंध 'बी' में निहित प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए था। राज्य की ओर से एक तर्क दिया गया था कि रिट की याचिका समय से पहले थी, क्योंकि याचिकाकर्ता अभी तक सेवानिवृत्त नहीं हुआ था। इस विवाद में कोई दम नहीं है। राज्य ने उन्हें 1968 में सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया है। जब याचिकाकर्ता की दलील के अनुसार उन्हें 1974 में सेवानिवृत्त होना चाहिए। राज्य द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम है और इसे 1968 में लागू किया जाएगा। यदि इस तरह का निर्णय याचिकाकर्ता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो इसे इस आधार पर बनाए नहीं रखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को समय से पहले होने पर भी सेवानिवृत्ति पर उपाय की मांग करनी चाहिए।

ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, याचिकाकर्ता अपने प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने से पहले अपनी वास्तविक उम्र के तथ्य को साबित करने का अवसर दिए जाने का हकदार था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए आवश्यक है कि सही उम्र साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए था, ऐसा करने में चूक संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत याचिकाकर्ता के अधिकार का उल्लंघन है। मैं याचिका को स्वीकार करता हूं, अनुबंध 'डी' और 'जी' में पुन: प्रस्तुत किए गए आदेशों को रद्द करता हूं और विपरीत पक्षों को निर्देश देता हूं कि वे याचिकाकर्ता को 4 फरवरी, 1968 को अपनी सेवानिवृत्ति के खिलाफ कारण बताने का अवसर दें और अपनी वास्तविक आयु साबित करें, जैसा कि उन्होंने तर्क दिया है।

7. श्री सोहन सिंह बावा *मामले* के तथ्य तत्काल मामले के तथ्यों से अलग थे। वहां श्री बावा के सेवा में आने के समय सेवा रिकार्ड में उनकी जन्मतिथि दर्ज करते समय यह कहा गया था कि मैट्रिक प्रमाणपत्र में दर्ज उनकी आयु गलत थी और मैट्रिक प्रमाणपत्र में उस आयु के सुधार की कार्यवाही लंबित थी। वहां दलील यह थी कि मैट्रिक के प्रमाण पत्र में 1916 के बजाय 1910 दर्ज किया गया है। इस प्रकार, सेवा रिकॉर्ड में बताई गई आयु मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में उसकी उम्र के सुधार के अधीन थी। इन परिस्थितियों में, श्री बावा अपनी सेवा में शामिल होने के दो वर्षों के भीतर सेवा रिकॉर्ड में अपनी आयु में सुधार के लिए आवेदन नहीं कर सके। मैट्रिक के प्रमाण पत्र में उम्र के सुधार के बाद ही आवेदन करना था। इसलिए उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था कि यह उनकी सेवा में शामिल होने के दो साल के भीतर नहीं किया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ता ने खुद अपनी जन्मतिथि एक जनवरी 1912 बताई और उस उम्र को तब तक स्वीकार किया जाता रहा जब तक कि उसने 9 दिसंबर 1966 को इसमें सुधार के लिए आवेदन नहीं किया। इसलिए, विद्वान आयुक्त ने याचिकाकर्ता के खिलाफ इस आधार पर अपने विवेक का प्रयोग किया कि उसने बहुत लंबे समय के बाद आवेदन किया था और सेवा रिकॉर्ड में दर्ज आयु उसके मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार थी, जिस पर इन सभी वर्षों में विवाद नहीं हुआ था। इसलिए, याचिकाकर्ता टेक चंद, जे के फैसले से कोई मदद नहीं ले सकता है। इसके अलावा, विद्वान आयुक्त का आदेश एक स्पष्ट है क्योंकि कार्यालय के अधीक्षक के नोट में विस्तृत कारण दिए गए हैं, जिसके साथ विद्वान आयुक्त सहमत थे। ,

8. ऊपर दिए गए कारणों के लिए, मुझे इस रिट याचिका में कोई दम नहीं दिखताहै, जिसे लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है, वकील की फीस 100 रुपये है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा।